



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 26.03.2023

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूरा में हुए जानलेवा हमले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय जिंदा/खोखा कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 26.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 01 खोखा/01 जिंदा कारतूस-12 बोर बरामद किया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 25.03.2023 को श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री नाथीराम निवासी ग्राम भूरा के भतीजे व पुत्री को अंकित आदि 03 अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर गम्भीर रूप से घायल करने के संबंध में थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अंकित पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 824/16 धारा 323,324,452,504,506 भादवि थाना कैराना शामली।

2. मु0अ0सं0 165/2023 धारा 452,354,307,504 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 01 खोखा/01 जिंदा कारतूस-12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक श्री नेत्रपाल सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2. हे0का0 विनेश शर्मा थाना कैराना जनपद शामली।

3. का0 मोहित सांगवान थाना कैराना जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा गौकशी करते 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से करीब 90 किग्रा प्रतिबंधित पशु मांस एवं कटान करने के उपकरण बरामद ।

आज दिनांक 26.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं कटान की रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा गौकशी की सूचना पर छापेमारी की कार्यवाही कर 01 गौकश को मौके पर करीब 90 किग्रा प्रतिबंधित पशु मांस (जिसे पशु-चिकित्सक द्वारा मौके पर ही दफना दिया गया) एवं कटान करने के उपकरण सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के 02 साथी अभी फरार हैं। जिनकी गिरफ्तारी हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुबारिक पुत्र इस्लाम निवासी मोहल्ला आर्यपुरी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

नाम व पता फरार अभियुक्त-

1. मोना पुत्र मोईनुद्दीन निवासी आर्यपुरी बाईपास कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
2. शहजाद पुत्र जहीर निवासी आर्यपुरी बाईपास कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1. प्रतिबंधित पशु मांस करीब 90 किग्रा (जिसे पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर ही दफना दिया गया)।
2. कटान करने के उपकरण (02 दाव, 02 छुरे, 01 गुटखा आदि)।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मु0अ0सं0 166/23 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
2. हे0का0 राशिद अली थाना कैराना जनपद शामली।
3. का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



थाना गढीपुख्ता

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 26.03.2023 को थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 वारंटी विपिन पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

थाना कैराना

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 26.03.2023 को थाना कैराना पुलिस द्वारा मु 0A0सं0 85/012 धारा- 302/201 भादवि वाद संख्या 30/12 सम्बन्धित मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड मुजफ्फरनगर से सम्बंधित 01 वारंटी सलमान पुत्र रफीक निवासी मौ0 दरबार खुर्द रेततेवाला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है